



2026:AHC-:23985-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1608 / 2026

फूल सिंह

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	रजनीश कुमार श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि वह इस रिट याचिका को नहीं करना चाहते हैं और इस उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

फरवरी 4, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"